

Vol.8 April 2015 No.9  
Annual Subscription : Rs 100  
Rs. 10/- per copy

# ब्रह्मार्पण **BRAHMARPAN**

वेदोऽखिलो  
धर्ममूलम्

A Monthly publication of  
Brahmasha India Vedic  
Research Foundation



**Brahmasha India Vedic Research Foundation**  
ब्रह्माशा इंडिया वैदिक रिसर्च फाउन्डेशन

## मेधा का वरदान

—देवनारायण भारद्वाज

यां मेधां देवगणाः पितर चोपासते।

तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु॥ अथर्ववेद 6/108

हे भगवान्! कीजिये, जन जन का कल्याण।

हे भगवान्! दीजिये, मेधा का वरदान॥

बुद्धि धारणावती प्रसारी, होती मेधा यही हमारी।

गौ-अ व, ज्ञान कर्म इन्द्रियाँ, करें नियन्त्रित मेधा प्यारी।

सूर्य रमियों सी सहकारी, विविध रचाती यज्ञ सुखारी॥

सकल सम्पदाओं की दात्री, मेधा है यजनीय उजारी।

हे भगवान्! कीजिये, मेधा मन्त्र प्रदान।

हे भगवान्! दीजिये, मेधा का वरदान॥१॥

ई वर, वेद, अन्न की ज्ञाता, मेधा सब धनधान्य प्रदाता।

ब्रह्मज्ञानियों की अनुरागी, मेधा के ऋषिगण उद्गाता।

ब्रह्मचारियों ने संयम से, सदाचरण कर नित्य नियम से।

मेधा का रसपान किया है, तन-मन-धन विद्या संगम से॥

हे भगवान्! कीजिये, सफल यज्ञ अभियान।

हे भगवान्! दीजिये, मेधा का वरदान॥२॥

जिसमें साध सत्य की आई, जिसने बुद्धि सुबुद्धि बनाई।

वही महात्मा विदुर वही है, जिसने मनु मेधा अपनाई।

मेधा, भद्र, सभ्यता लाती, सभी ओर सौभाग्य बढ़ाती।

जो मेधा के बने पुरोधा, ज्योति उन्हीं से जगती पाती।

हे भगवान्! कीजिये, मेधावी बलवान।

हे भगवान्! दीजिये, मेधा का वरदान॥३॥

मेधा को ऋषियों ने जाना, दृढ़ आधार उसी को माना।

परमे वर से यही याचना, हमको मेधा धनी बनाना।

सद्गुरु सन्त ज्ञान उजियारे, अध्यापक आचार्य हमारे।

धारणावती बुद्धि सुमेधा, सदा हमारी रहे निखारे।

हे भगवान्! कीजिये, जन-जन मेधावान।

हे भगवान्! दीजिये, मेधा का वरदान॥४॥

प्रातः साथ हमारे आओ, सायं साथ हमारे आओ।

मध्याह्न दुपहरी बेला में, मेधा अपना साथ निभाओ।

जहाँ-जहाँ रवि किरणें जायें, मेधा अपना साथ निभाये।

वहाँ-वहाँ कृति कीर्ति हमारी, मेधा को चमकाती जाये।

हे भगवान्! कीजिये, जन-जन मेधावान।

हे भगवान्! दीजिये, मेधा का वरदान॥५॥



**BRAHMASHA INDIA VEDIC  
RESEARCH FOUNDATION**

C2A/58, Janakpuri,  
New Delhi-110058

Tel :- 25525128, 9313749812  
email: deeuukhal@yahoo.co.uk  
brahmasha@gmail.com

Website : www.thearyasamaj.org

of Delhi Arya Pratinidhi Sabha  
Sh. B.D. Ukhul

Secretary

Dr. B.B. Vidyalkar

President

Col.(Dr.) Dalmir Singh (Retd.)

V.President

Dr. Mahendra Gupta V.President

Ms. Deepti Malhotra

Treasurer

**Editorial Board**

Dr. Bharat Bhushan Vidyalkar,  
Editor

Dr. Harish Chandra

Dr. Mahendra Gupta

Acharya Gyaneshwararya

लेख में प्रकट किए विचारों के  
लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं  
है किसी भी विवाद की परिस्थिति  
में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

**Printed & Published by**

B.D. Ukhul for Brahmasha India  
Vedic Research Foundation  
Under D.C.P.

License No. F2 (B-39) Press/  
2007

R.N.I. Reg. No. DELBIL/ 2007/22062

Price : Rs. 10.00 per copy

Annual Subscription : Rs. 100.00

Brahmarpan April 2015 Vol. 8 No.9

वैशाख-ज्येष्ठ 2072 वि.संवत्

**ब्रह्मार्पण  
BRAHMAPAN**

A bilingual Publication of Brahmasha  
India Vedic Research Foundation

**CONTENTS**

1. मेधा का वरदान 2  
-देवनारायण भारद्वाज
2. संपादकीय 4
3. सांख्य दर्शन 7  
-डॉ. भारत भूषण
4. महाकवि नाथूराम ांकर 'राम' का  
एक सैद्धांतिक भजन 8  
-डॉ. भवानीलाल भारतीय
5. 'आर्यों के भारत पर आक्रमण' के  
सिद्धान्त को पंचिम में चुनौती 10  
-डेविड फ्राउली
6. सावधान! संसार चक्र रुक जाएगा  
(8 मार्च महिला दिवस पर) 16  
-प्रियवीर हेमाइना
7. राष्ट्र को समर्पित : डॉ. राजेन्द्र  
प्रसाद 17  
-श्री भगवान सिंह
8. चन्द्र शेखर आज़ाद : संगठन के  
लिए समर्पित 18
9. आतंकवाद की आग में झुलसता  
पूर्वोत्तर 21  
-के. एल. चतुर्वेदी
10. आतंक से जंग में हमारी गलतियाँ  
-भरत वर्मा 24
11. पलटवार बिना नहीं समाधान 27  
-जोगिन्दर सिंह
12. Vedas for all 31  
-Brig. Chitranjan Sawant

## संपादकीय

### दे। में गोवं। हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए?

हाल ही में राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में गोवं। हत्या पर पाबन्दी लगाने वाले बिल को मंजूरी दी है। यह बिल गत 19 साल से लंबित था। इस बिल की मंजूरी के बाद दे। में नई बहस छिड़ गई है। इस विषय में अनुच्छेद 48 के अनुसार हमारे संविधान में व्यवस्था है कि राज्यों में कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक दिशा में ले जाने की कोशिश की जाए तथा गोवं। और दुधारू पशुओं के वध पर पाबन्दी लगायी जाए।

सन् 1976 में संविधान में एक नया अध्याय और अनुच्छेद-मूल कर्तव्य 51(A) के रूप में जोड़ा गया जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि “वह स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे।” दे। के बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए जिसने स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक बलिदान दिए गोवध निषेध सबसे महान प्रेरणा स्रोत था।

#### गोवध के संबंध में विभिन्न राज्यों की स्थिति

नार्थ ईस्ट (उत्तरपूर्वी) राज्यों में गोवध पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। केरल में इसके संबंध में कोई कानून तो नहीं है, लेकिन इस पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में प्रमाण-पत्र द्वारा गोवध की अनुमति दे रखी है। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गोआ और ओडिशा में गोवध पर तो प्रतिबंध है, परन्तु दूसरे पशुओं के वध की अनुमति के लिए प्रमाण-पत्र दिया जाता है। दे। के अन्य भागों में किसी भी पशु के वध पर प्रतिबंध नहीं है। इस विषय में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह ने गाँधी जी की पुण्यतिथि पर एक सभा में बोलते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री



अटलबिहारी बाजपेयी से आग्रह किया था कि वे राष्ट्रीय कानून बनाकर समस्त भारत में गोहत्या पर पाबंदी लगाएँ क्योंकि मध्यप्रदेश तथा कई अन्य राज्यों में गोहत्या बन्दी कानून के होते हुए भी गोहत्या जारी है। अब जबकि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह गोवंश के वध पर प्रतिबंध को केन्द्रीय विषय मान कर केंद्रीय कानून द्वारा समस्त भारत में गोवंश के वध पर प्रतिबंध लागू करें। इस बिल पर कांग्रेस की सहमति की आशा की जा सकती है। प्राचीन काल में गोवंश की मानवमात्र के लिए उपयोगिता की दृष्टि से गोवंश और दुधारूप पशुओं की हत्या की अनुमति नहीं थी। इसलिए देश में दूध और कृषि उत्पादों की प्रचुरता थी। आज भारत से लाखों पशुओं के मांस का निर्यात होता है, इसलिए देश में दूध और कृषि उत्पादों की कमी होने लगी है और गैर-कानूनी रूप से नकली दूध का धंधा शुरू हो गया है। गोवंश की रक्षा और गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम आंदोलन समाज सुधारक और आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने किया था। स्वामी जी ने देशभर में घूम कर दो करोड़ से भी अधिक लोगों के हस्ताक्षरों के साथ गोरक्षा और गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रतिवेदन महारानी विक्टोरिया को दिया था। इस प्रतिवेदन पर तत्कालीन रियासतों के राजाओं के भी हस्ताक्षर थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1882 में गोवंश रक्षा और गोवंश के संवर्धन के लिए 'गोकर्णानिधि' नामक पुस्तिका लिखी तथा गोरक्षिणी और गोकृष्यादि सभाओं की भी स्थापना की थी। प्रकृति ने मानव व प्राणियों के लिए जो अमूल्य जीवनोपयोगी सामग्रियाँ प्रदान की हैं। उन्हीं में से एक दूध है। इसे अमृत भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार संसार में उपलब्ध समस्त पौष्टिक और जीवनदायक पदार्थों और औषधियों की तुलना में दूध सर्वोत्तम आहार है। अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि दूध में पानी के अतिरिक्त 13-15 प्रतिशत ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज़ (लेक्टोज़) और वसा लैक्टोज़ को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। दूध का मुख्य तत्व प्रोटीन है जो बढ़ते बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए परम आवश्यक है। दूध में लैक्टोज़ के विकास के लिए अनेक प्रकार के विटामिन और मिनरल भी होते हैं। नीचे दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का विवरण और मात्रा दी है-

| पोषक तत्व          | मात्रा        |
|--------------------|---------------|
| वसा (चर्बी)        | 30-50 ग्राम   |
| प्रोटीन            | 30-35 ग्राम   |
| लैक्टोज़           | 45-50 ग्राम   |
| कैल्शियम           | 1.25 ग्राम    |
| फॉस्फेट            | 2.10 ग्राम    |
| साइट्रेट           | 2.00 ग्राम    |
| विटामिन ई          | 0.6 ग्राम     |
| विटामिन बी-1       | 0.35 ग्राम    |
| विटामिन बी-12      | 0.60 ग्राम    |
| ऐस्कॉर्बिक एसिड    | 16 मि.ग्रा.   |
| बायोटिन            | 36 मि.ग्रा.   |
| कोलीन              | 127 मि.ग्रा.  |
| फोलिक एसिड         | 0.3 मि.ग्रा.  |
| साइबो फ्लेबीन बी-2 | 1.82 मि.ग्रा. |
| थाइमिन बी-1        | 0.35 मि.ग्रा. |

एक लीटर दूध औसतन 75-100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यदि बच्चे के लिए माता का दूध उपयुक्त न हो तो उसके बदले गाय का दूध ही दिया जा सकता है।

दूध में पाया जाने वाला कैल्शियम लैक्टोज़ की अस्थियों को पोषक तत्व प्रदान कर उन्हें सुपुष्ट करता है। दूध अपनी पूर्णता और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सर्वोत्तम आहार है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गोवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इनके पालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

**संपादक**

## सांख्य द नि (अध्याय-1, सूत्र-87)

-डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार

पिछले सूत्र में हमने देखा कि कार्य पर आधारित सभी व्यवहार की प्रयोजक, कार्य की अभिव्यक्ति है। सत्कार्यवाद की दृष्टि से यह आंका होती है कि क्या अभिव्यक्ति भी अपने अस्तित्व से पूर्व सत् या असत् है? यदि सत् है तो कारणावस्था में भी कार्य की प्रतीति और उस पर आधारित सभी व्यवहार होना चाहिए, जो अनुभव के विरुद्ध है। यदि असत् माना जाए, तो असत् से सत् रूप में आकर अभिव्यक्ति, सत्कार्य सिद्धांत को असंगत ठहराती है। सूत्रकार इस आंका का समाधान निम्नलिखित सूत्र में करते हैं, सूत्र है-

**पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजांकुरवत्॥87॥**

**अर्थ-**(पारम्पर्यतः) अभिव्यक्ति की परंपरा से (अन्वेषणा) अन्वेषण अर्थात् विवेचना करनी चाहिए (बीजांकुरवत्) बीज-अंकुर के समान।  
**भावार्थ-**किसी भी कार्य की अभिव्यक्ति की विवेचना, परंपरा के आधार पर की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति के अनन्तर अनभिव्यक्ति और उसके अनन्तर फिर अभिव्यक्ति, इनका यही क्रम बराबर चलता रहता है। जब एक कार्य की अभिव्यक्ति हुई, तब हमें सोचना है कि क्या इसी अवस्था में हमें उसकी पुनः अभिव्यक्ति की आवश्यकता है? उत्तर स्पष्ट है कि उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी कारण-वस्तु के कार्य रूप में परिणत होने के अतिरिक्त अभिव्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जब कोई वस्तु कार्य रूप में परिणत हो चुकी होती है तब उसी अवस्था में रहते हुए उसी रूप में पुनः परिणत होने का प्र न नहीं उठता। इसलिए जब कार्य, कारणरूप में अवस्थित है, अभिव्यक्ति के कार्यरूप होने पर वह भी उसी तरह कारण रूप में अवस्थित है, यही कहना होगा। अभिव्यक्ति की पुनः अभिव्यक्ति का उसी समय प्र न उपस्थित होता है, जब पहली अभिव्यक्ति की अवस्था अनभिव्यक्ति की अवस्था में परिणत हो चुकी हो। जिस प्रकार बीज से सीधे बीज नहीं होता और न अंकुर से सीधे अंकुर होता है, बल्कि उनमें एक परंपरा, एक व्यवस्थित क्रम बराबर चलता रहता है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति में समझना चाहिए। अतः कार्यरूप में परिणत होने से पूर्व अभिव्यक्ति का अस्तित्व कारण रूप से विद्यमान रहता है जो उसकी अनभिव्यक्ति रूप अवस्था है। अतः ऊपर की गई आंका का अवका । नहीं।

सी-2ए, 16/90 जनकपुरी,  
नई दिल्ली-10058

## महाकवि नाथूराम िंकर 'ओम्' का एक सैद्धान्तिक भजन

-डॉ. भवानीलाल भारतीय

पूर्व द्विवेदी काल में महाकवि नाथूराम िंकर का हिन्दी के कवियों में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने गंगार, गान्त, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर उत्कृष्ट काव्य रचना की है। आचार्य द्विवेदी सरस्वती के प्रत्येक अंक में एक चित्र के नीचे उसके भावसाम्य दिखाती िंकर की लघु कविता प्रकाशित करते थे। कामिनी (नायिका) की रक्तिम माँग को कामदेव के दुधारे से उपमित करना िंकर जी की अनूठी सूझ थी। वे अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज के निवासी थे। साहित्य समीक्षकों ने िंकर की प्रायः उपेक्षा ही की है।

कवि िंकर की एक लघु कविता में योग शास्त्र कथित ओम् (प्रणव) का सुन्दर और काव्यात्मक विवेचन हुआ है। ध्यान रहे कि पतंजलि प्रणीत योगदर्शन में प्रणव (ओम्) को परमात्मा का मुख्य वाचक बताया है-

**तस्य वाचकः प्रणवः।**

और इस प्रणव (ओम्) का अर्थ समझते हुए पुनः-पुनः बोलना तथा उसका नियमित चिन्तन करना साधक के लिए आवश्यक बताया है इसी अभिप्राय को कवि ने कविता ने आरम्भ में स्पष्ट किया है "ओम् अनेक वार बोल प्रेम के प्रयोगी।"

अगली पंक्ति में इसे अनादि नाद (ध्वनि) तथा सबके लिए उच्चारण करने के उपयुक्त ध्वनि (अनिवार्य) तथा सबको निर्विवाद रूप से स्वीकार्य बताया गया है। 'ओम्' वह शब्द या पद है जो अन्य लौकिक अर्थ (ई वर से भिन्न) नहीं देता।

शास्त्रों में कथित अग्नि, मित्र, वरुण तथा माता, पिता, बंधु, सखा आदि शब्दों का प्रयोग हम ई वर के लिए करते हैं जिसका ई वर से भिन्न पदार्थों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, माता, पिता, बंधु, सखा आदि लौकिक पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। 'ओम्' का प्रयोग परमात्मा से भिन्न अन्य किसी के लिए नहीं किया जाता। यह शब्द समुदाय, मत, पन्थ निरपेक्ष इस अर्थ में है कि वैदिक, पौराणिक तथा मध्यकालीन निर्गुण-सगुण समुदाय को यह नाम निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। पठित व्यक्तियों तथा शास्त्रों की बात दूर रही, वागमार्गी, झाड़फूँक करने वाले अपठित ओझा लोग भी अपने अर्थहीन,

तथाकथित मंत्रों का आरम्भ 'ओम्' से ही करते हैं। इसीलिए इस पंक्ति में ओम् को अनादि नाद, निर्विकल्प तथा निर्विवाद (no option and un-desputable) बताया है। अगली पंक्ति में उन्होंने इसे भक्तों, ज्ञानियों तथा अध्यात्म मार्ग के पथिकों द्वारा जप के लिए सर्वथा उपयुक्त कहा है-

**भूलते न पूज्यपाद वीतराग योगी।**

ओम् के अर्थ तथा जप का महत्त्व वेदों में (ओम् क्रतो स्मर), उपनिषदों में (ओम् उद्गीथ है गायन के उपयुक्त), गीता में (ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म) तथा योग दर्शन में सर्वत्र दर्शाया गया है। ओम् की महिमा और महत्त्व वेद से लेकर सभी अवान्तर धर्म ग्रन्थों में पाया जाता है। इसलिए आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा-

**वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान।**

**गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्गभोगी।**

कवि का कहना है कि ओम् के महत्त्व के विवेचन में वेद सर्वोपरि प्रमाण हैं। साथ ही 'अर्थ योजना' का उल्लेख कर यह भी संकेत कर दिया कि वेदार्थ ज्ञान के लिए निरुक्त, आर्षग्रन्थों का मार्गदर्शन लेना उपयुक्त है। यह मत साधु सज्जनों का है। इन्हें कवि ने स्वर्गभोगी कहा है। यह स्वर्ग भौतिक सुख नहीं अपितु सभी प्रकार के सन्तुलित जीवन व्यतीत कर सुखी वातावरण में रहना है। आगे की पंक्ति में कवि ने कहा है कि विरक्त लोग 'ओम्' का ध्यान करते हैं और भक्त लोग भावपूर्वक इसी का भजन करते हैं। यह 'ओम् स्मरण' मात्र नाम रटना नहीं है, क्योंकि योगदर्शन ने स्पष्ट किया गया है कि इसके भाव और अर्थ का विचारपूर्वक चिन्तन ही ओम् का वास्तविक जप है। अन्त में कवि ने कहा-

**किंरादि नित्य नाम जो जपे विसार सम।**

**तो बने विवेकधाम मुक्ति क्यों न होगी॥**

'किंर' कवि का नाम तो है ही परमात्मा का भी एक नाम है। 'नमः किंराय' में यह स्पष्ट कहा है। कवि का कथन है कि यदि परमात्मा के इन नामों का नियमपूर्वक, निरन्तर स्मरण किया जाये तो मनुष्य को विवेक (ज्ञान) की प्राप्ति होगी, और इस विवेक ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति निश्चित है। वैदिक शास्त्रों में ज्ञान को परम पवित्र कहा है गीता के श्लोकों में -

**न हि ज्ञानेन सद ऽ पवित्रमिह विद्यते॥**

**315, किंर कालोनी, श्रीगंगानगर**

## ‘आर्यों के भारत पर आक्रमण’ के सिद्धान्त को पश्चिम में चुनौती

—डेविड फ्राउली

डॉ. डेविड फ्राउली (वामदेव शास्त्री) संघ-परिवार में एक जाना-माना नाम है और उन्होंने वैदिक इतिहास सम्बन्धी अनेक पश्चिमी और वामपंथी धारणाओं को अपनी पुस्तकों और लेखों में चुनौती दी है। परन्तु फिर भी भारतीय पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाये जा रहे नेहरूवादी विचारों की अपेक्षा उनके विचार हमारे अधिक अनुकूल हैं।

‘आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया’ इस सिद्धान्त के अनुसार ईसा से 1500 वर्ष पूर्व आर्यों ने, जो जंगली चरवाहे थे भारत पर आक्रमण किया, यह सिद्धान्त भारत की अधिकांश पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने इस महाद्वीप की उन्नति गील सभ्यता, जिसे द्रविड़ सभ्यता कहा जाता है, को समाप्त कर दिया। इसका प्रमाण हड़प्पा तथा सिन्धु घाटी के पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होता है। यह सिद्धान्त हिन्दुओं की प्राचीन मान्यता के सर्वथा विपरीत है, जो यह मानते थे कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे, अतः आर्य सभ्यता भारत की मूल-सभ्यता है। यह सभ्यता पौराणिक सरस्वती नदी के किनारे पनपी जो दिल्ली के पश्चिम में बहती थी और इस प्राचीन सभ्यता को विकसित करने में प्राचीन ऋषियों, मनीषियों और योगियों का हाथ था।

इस बाहरी आक्रमण के सिद्धान्त का आविष्कार 19वीं शताब्दी में यूरोपियन विद्वानों ने किया। इसकी पृष्ठभूमि में साम्राज्यवादी तथा ईसाइयत मानसिकता ने काम किया। उस समय भी इस सिद्धान्त का विरोध भारतीय मनीषियों जैसे महर्षि दयानन्द सरस्वती, श्री अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने किया। वेदों में कहीं भी आर्यों के भारत के बाहर से आगमन का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद चूँकि शिक्षा जगत् में पाश्चात्य विद्वानों का आधिपत्य था तथा विवेक के अनेक देशों पर यूरोप के कुछ देशों का प्रभुत्व था, अतः यह भारत पर आर्यों के आक्रमण वाली धारणा सत्य मानी

जाने लगी। इसने प्राचीन भारतीय इतिहास को सिर्फ आक्रमण की घटना के रूप में चित्रित कर उसका अवमूल्यन किया तथा बाद की पीढ़ियों ने अज्ञान के कारण उन आक्रमणकारियों को ऋषियों की गलत संज्ञा दे डाली।

इन वर्षों में इस आक्रमण वाली धारणा को पूर्व और पश्चिम के कुछ विद्वानों ने चुनौती दी। इस सिद्धान्त के विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है और विरोध अधिक मुखर हो रहा है। वर्तमान में नए-नए पुरातात्विक अन्वेषण हुए, वहाँ प्राप्त कंकालों के अध्ययन किए गए तथा खगोलीय एवं भूतत्त्व विषयक अध्ययन के आधार पर जो नए तथ्य प्रकाश में आए, उनसे पुरानी मान्यताओं की पुष्टि नहीं होती है। जिस आधार पर आक्रमण के सिद्धान्त को लागू किया गया था, उसकी पुष्टि का कोई आधार नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर आक्रमण के सिद्धान्त के अनुसार आर्यों ने द्रविड़ों को मार भगाया। लेकिन हड़प्पा की खुदाई में युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिले, अपितु यह पाया गया कि जलवायु तथा नदियों के मार्ग-परिवर्तन के कारण यहाँ के निवासी स्थान छोड़ने को बाध्य हुए। यह कहा जाता रहा है कि आक्रमणकारी आर्य अपने साथ घोड़े लाए। यह भी हड़प्पा की खुदाइयों से गलत सिद्ध हुआ है। इन पुरातात्विक सर्वेक्षणों तथा हाल ही में की गई मेहरगढ़ (पाकिस्तान) की खुदाई के अनुसार यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता ईसा के 6500 वर्ष पूर्व से अनवरत चली आ रही है तथा कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की घटना नहीं हुई। कुछ वर्षों में आर्यों के आक्रमण का सिद्धान्त पूर्णतः नकारा जाएगा।

हाल ही में मासिक पत्रिका हिन्दुइज्म टुडे (Hinduism Today दिसम्बर 1994) में एक लेख इस आक्रमण के सिद्धान्त के विरोध में प्रकाशित हुआ। वि.व. के हिन्दुओं का यह सबसे अधिक प्रकाशित एवं प्रचलित पत्र है। यह पत्र अमेरिका में प्रकाशित होता है तथा पूरे वि.व. में वितरित किया जाता है। इस सिद्धान्त के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि यह सिद्धान्त

वि व्यापी पाठ्य-पुस्तकों तथा भारत की पाठ्य-पुस्तकों में मान्यता प्राप्त हैं, अतः नए सिद्धान्त की मान्यता संभव नहीं। जो इस सिद्धान्त के विरोधी हैं, उनका कहना यह है कि चूंकि ये अन्वेषण अभी हाल ही के हैं, अतः पाठ्य-पुस्तकों में स्वीकृत होने में समय लगना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद नए अन्वेषणों को पाठ्य-पुस्तकों में मान्यता मिलनी शुरू हो गई है।

आ चर्य की बात है कि इस नई मान्यता का प्रकाश भारत की किसी पाठ्य-पुस्तक में नहीं हुआ, अपितु पाश्चात्य विविद्यालयों की पाठ्य-पुस्तकों में हुआ है। सर्वे ऑफ हिन्दुइज्म (Survey of Hinduism, Suny State University of Newyork Press 1994) के हाल ही के संस्करण में प्रो. क्लौस क्लोस्टरमेयर ने आक्रमण के सिद्धान्त पर आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि नई गवेषणाओं के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, वे स्थापित सिद्धान्त के विपरीत हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अनुपयुक्त हैं। सर्वे ऑफ हिन्दुइज्म उत्तरी अमेरिका के विविद्यालयों में हिन्दुत्व सबन्धी एक प्रमुख पुस्तक है।

प्रो. क्लोस्टरमेयर हिन्दू नहीं हैं, अपितु कैथोलिक ईसाई हैं। उन्होंने अपना मत हिन्दुत्व के पक्ष को पुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु एक विद्वान्, मनीषी एवं शिक्षाविद् के नाते उनकी सहानुभूति हिन्दू धर्म के प्रति होनी स्वाभाविक है। अपनी पुस्तक में उन्होंने हिन्दू-धर्म की कई मान्यताओं, विवासों का खण्डन भी किया है। लेकिन आर्यों के आक्रमण की असहमति नई गवेषणाओं के आधार पर की है।

प्रो. मेयर कहते हैं (प. 34) 'नए उत्खनन के आधार पर सिन्धु घाटी सभ्यता का स्थान और काल-सम्बन्धी अनुमान काफी बदल गया है और इसके चलते वैदिक सभ्यता के कालमान तथा आर्यों के आक्रमण के सिद्धान्त की जड़ ही हिल गई है। अब वैदिक भारत की अवधारणा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, तथा सिन्धुघाटी सभ्यता तथा वैदिक



संस्कृति के सम्बन्धों पर नए सिरे से गवेषणा की आवश्यकता है। अब यह विवास होने लग गया है कि सिन्धुघाटी सभ्यता वैदिक आर्यों की ही सभ्यता थी, दक्षिणी रूस से आए आक्रमणकारी नहीं थे, अपितु ये आर्य हिमाचल के मध्य एवं निचले भागों में अनिश्चितकाल से रहते थे।

प्रो. मेयर वैदिक संस्कृति और सिन्धुघाटी सभ्यता के बीच व्यवधान पर प्रस्ताविक चिह्न लगाते हैं और दोनों में साम्य अथवा तारतम्य के पक्षधर हैं। वैज्ञानिक गवेषणाओं के अनुसार सरस्वती नदी ईसा से 1900 वर्ष पूर्व सूख गई थी। यही सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता का मूल आधार है। वे लिखते हैं (प. 36) 'मूलर के अनुसार यदि आर्यों का आक्रमण ईसा के 1500 वर्ष पूर्व हुआ तो सूखी हुई नदी के किनारे गाँवों की खोज का कोई मतलब नहीं।'

प्रो. मेयर ने खुदाई में प्राप्त कंकालों के अध्ययन से यह पाया कि जिस जाति या समुदाय के लोग प्राचीन भारत में रहते थे, उसी जाति और समुदाय के लोग आज भी भारत में हैं, उनमें निरन्तरता है, कहीं क्रम भंग नहीं है। इससे यह परिणाम निकलता है कि प्राचीन भारत में किसी बाहरी जाति का आसन नहीं था। कृष्ण ने गुजरात में ईसा के 1500 साल पूर्व द्वारिका बसाई थी। उसका भी हाल ही में पुरातत्त्वविदों को पता लगा है। वैदिक साहित्य में खगोल का जो विस्तृत वर्णन है, उसके आधार पर भी सिन्धुघाटी सभ्यता के काल-निर्णय में सहायता मिलती है।

प्रो. मेयर, सुभाष काक के लेख से काफी प्रभावित हैं और अपनी पुस्तक में यत्र-तत्र उसके उद्धरण भी देते हैं। काक ने वेदों में खगोलीय वर्णन की गुत्थी सुलझाई है। उसका भी हवाला प्रो. मेयर देते हैं। उन्होंने मेरी पुस्तकों गॉड्स, सेजिज एण्ड किंग्स (Gods, Sages and Kings) तथा वैदिक सीक्रेट्स ऑफ एनरियेन्ट सिविलाइजेशन (Vedic Secrets of Ancient Civilization) से भी उद्धरण लिए हैं। वे काक की पुस्तक के एक लम्बे अंश को उद्धृत करते हैं। 'ईसा के पूर्व की चौथी

सहस्राब्दी के मध्य भारोपीय तथा द्रविड़ जाति के लोगों में परस्पर सम्मिलन हुआ तथा वे पश्चिमोत्तर भारत के किसी हिस्से तथा ईरान के पठारों में परस्पर मिले इसी समय भारोपीय जाति के लोग यूरोप में बढ़ते-बढ़ते उत्तर भारत तक आ गए होंगे और ठीक इसके निचले हिस्सों में द्रविड़-जाति के लोग रहते थे। सदियों तक दोनों के सम्मिलन से एक नई वैदिक भाषा का जन्म हुआ जो मूल में भारोपीय होते हुए भी द्रविड़-भाषा से प्रभावित थी।

‘ये तथ्य विभिन्न पुरातात्विक तथा वैदिक विद्वानों से प्राप्त हुए हैं। ये तथ्य प्रो. क्लौस्टरमेयर के अपने नहीं हैं। पा चात्य विद्वान् भी इन्हें नजरअन्दाज नहीं कर सकते। इन्हीं तथ्यों ने प्रो. मेयर को वेदों के पुनर्वीक्षण के लिए बाध्य किया।’ इन प्रथम प्रकाशित तथ्यों से वेदों की पा चात्य विद्वानों की व्याख्या प्रभावित हुई है तथा नई गोथों से वैदिक सभ्यता के बारे में और नए तथा चौंकानेवाले तथ्य सामने आएँगे। (प. 38)

इन तथ्यों से भारतीय विद्वान्, लेखक, पुरातत्त्वविद्, विज्ञानी तथा आध्यात्मिक नेता प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक इन तथ्यों को पाठ्य-पुस्तकों में स्थान नहीं प्राप्त हुआ। प्र न है कि नए तथ्यों के प्रकाश में पा चात्य देशों की पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? जबकि इसी तर्क के आधार पर भारतीय संस्कृति और धर्म को बदनाम किया जाता रहा है। उम्मीद की जाती थी कि ये परिवर्तन भारत की पाठ्य-पुस्तकों में पहले होते, पश्चिम में बाद में। पश्चिम में ग्रीस की सभ्यता के प्राचीन होने की सूचना प्राप्त होते ही वहाँ की सरकार ने इसे तुरन्त ही मान्यता प्रदान की। दुर्भाग्यवश भारत के कुछ समुदाय इन नई गोथों को, जिनमें भारत की प्राचीन गौरवशाली परम्परा का ज्ञान होता है, इसलिए मान्यता प्रदान नहीं करते कि कुछ प्रभावशाली सेक्युलर समुदाय इसके कट्टर विरोधी हैं। ‘आर्यों के आक्रमण का सिद्धान्त’ राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है तथा भारत में राजनीति पूर्णतः चुनावी स्वार्थों पर आधारित है।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, वामपंथी विद्वान् तथा राजनीतिज्ञ, द्रविड़ देवभक्त, जातिवाद विरोधी संस्थाएँ, ईसाई धर्म प्रचारक तथा मुसलमान, ये सभी समुदाय 'आर्यों के आक्रमण' वाले सिद्धान्त से भारत को बदनाम करने, खासकर ब्राह्मणों के वर्चस्व की विशेष आलोचना के कट्टर पक्षधर रहे हैं। आज भी उन्होंने ब्राह्मण-विरोध की भावना को इतना अधिक उकसाया है कि दक्षिण भारत की दीवारों पर 'ब्राह्मण मध्य एशिया वापस जाओ' के नारे दिखाई पड़ जाते हैं। दक्षिण में विशेषकर द्रविड़, पिछड़ी-जातियों तथा मुसलमान-तीनों मिलकर अपने को आर्यों के आने के पहले रहनेवाली जाति के रूप में मानते हैं तथा उनके दिमाग में यह बात ठूस-ठूस कर भर दी गई है कि वे आर्यों के द्वारा सताए गए तथा जीते हुए हैं। भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम के पुरोधा बाल गंगाधर तिलक तथा महर्षि दयानन्द तथा श्री अरविन्द ने इस सिद्धान्त का डटकर विरोध किया। ये लोग प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निरन्तर प्रवाह के पक्षधर थे।

वास्तव में इतिहास को तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अभी जो तथ्य सामने आए हैं, 'आर्यों के आक्रमण' के सिद्धान्त के विरोधी हैं। आज की घटनाओं के चलते चार हजार साल पुराने इतिहास को विकृत नहीं किया जा सकता। ऐसी भूल केवल भारत में ही संभव है। अब भारत के विद्वानों को 'आक्रमण के सिद्धान्त' का नये दृष्टिकोण से सर्वेक्षण करना चाहिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता और निरन्तरता से भारत की एकता कायम होने में मदद मिलेगी। यदि यह सिद्धान्त अप्रचलित हो जाता है तो निश्चित ही भारत सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति के रूप में उभरेगा, जिसके पास वेदों के रूप में अनुपम ज्ञान का भण्डार है। यह प्राचीन संस्कृति मिस्र तथा बेबीलोन की संस्कृति से भी प्राचीन है और हमारे लिए यह संस्कृति गर्व का विषय है।

सान्टा फे, न्यू मैक्सिको,  
87504-8656(यू.एस.ए.)

## सावधान! संसार चक्र रुक जाएगा

(8 मार्च महिला दिवस पर)

-प्रियवीर हेमाङ्गना

कन्याएँ कितनी महान जो, हैं सँवारती दो कुलों को।  
कन्याएँ ही सबसे प्यारा धन, जो न रुचता बस खलों को॥  
खल कर देते इनकी हत्या, लोक में आने से भी पूर्व।  
वे न समझते इनकी महिमा, प्रभु ने जो दी उन्हें अपूर्व॥  
प्रभु ने दिया है कन्याओं को, 'मात क्ति' का दिव्य वरदान।  
हृदय में है भर दिया इनके, दया, ममता का अनुपम दान॥  
विनम्रता और कोमलता में, क्या कोई है इनके समान।  
बसते हैं बस वहाँ देवता, जहाँ होता इनका सम्मान॥  
जहाँ न मिलता इन्हें सम्मान, क्रियाएँ होती सभी निष्फल  
कोई राष्ट्र न देख सके बिना कन्याओं के स्वर्णिम कल॥  
यदि देवी देवकी न होती, क्या कृष्ण-सी आत्मा पाते हम।  
उस योगिराज की गीता का, ज्ञान कहाँ से पाते हम॥  
यदि जीजाबाई न होती, क्या वीर विवाजी पाते हम।  
यदि लक्ष्मीबाई न होती, क्या रानी 'मर्दानी' पाते हम ॥  
एक आदर्श माता ने ही था दिया हमें वह देव दयानन्द।  
जिसने वेदों का किया प्रचार, दिया सबको महा-आनन्द॥  
उस माता प्रभावती का, देश में है अति सम्मान।  
जिसने दिया देश को, वीर नेता सुभाष महान॥  
विद्यावती न होती यदि, क्या मिलता हमें वह सिंह?  
स्वतंत्रता-इतिहास में, नाम है जिसका भगत सिंह॥  
वह लौह पुरुष सरदार पटेल, उनकी माता की ही देन।  
आसन कैसे चलाया जाता, दिखाया उसने अपना ब्रेन॥  
न होती माता लोक में, रामदुलारी यदि यहाँ।  
लालबहादुर शास्त्री-सा, लाल महान् मिलता कहाँ॥  
क्या श्रीमती इन्दिरा द्वारा, चलाया गया न पिता का वंश?  
बनी राष्ट्र की प्रधानमंत्री, समुन्नत किया पिता का वंश॥  
आज भी लड़कियाँ ही पातीं परीक्षाओं में ऊँचा स्थान।

वे ही कर रही दे। को सम्मानित देकर निज प्रतिभा का दान॥  
 बेटी बेटों की तुलना में लगती सदा अधिक प्यारी।  
 है बेटों के मुकाबले, बेटी में अधिक वफादारी॥  
 अस्तु! जब बेटी ही लगती, ज्यादा परिश्रमी व प्यारी।  
 हा! हन्त! फिर क्यों समाज में, कन्या भ्रूण हत्या जारी॥  
 सब ऋषि, महात्मा, महान पुरुष, नारी से ही जनमे जाते।  
 फिर भी देख गर्भ में बेटी, हैं गर्भपात क्यों करवाते॥  
 यदि केवल लड़के ही हों, समाज में लड़कियाँ नहीं हों।  
 यदि केवल फूल ही फूल हों, उन फूलों में गंध नहीं हो॥  
 थोड़ा सोचो, समझो फिर क्या, यह सष्टिचक्र चल पायेगा?  
 प्रभु के द्वारा चलाया गया, संसार-चक्र रुक जायेगा॥  
 कन्या भ्रूण हत्याएँ करके, क्यों पाप के भागी बनते हो?  
 ई वर की न्याय व्यवस्था में, क्यों दण्ड के भागी बनते हों॥

318, विपिन गार्डन, उत्तम नगर,  
 नई दिल्ली-110059

### चन्द्र खेर आज़ाद : संगठन के लिए समर्पित

-मनोहर लाल

महान संगठनकर्ता चंद्र खेर आज़ाद क्रान्तिकारी दल के लिए सदैव समर्पित रहे। एक बार कुछ लोगों ने उनकी पारिवारिक परिस्थिति के लिए आर्थिक सहायता राशि दी, तो उन्होंने उसे भी पार्टी के कार्यों में लगा दिया। साथियों ने पूछा तो, उन्होंने कहा-“माता-पिता के जीवन की अपेक्षा पार्टी का अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण है। वे सच्चे अर्थों में निष्काम कर्मयोगी थे। आज़ाद को चिन्ता नहीं थी कि उनका नाम इतिहास में आये अथवा ख्याति मिले।

एक बार भगत सिंह ने उनसे पूछा-“पण्डित जी! इतना तो बता दीजिए आपका घर कहाँ है? वहाँ कौन-कौन हैं, ताकि भविष्य में आव यकता पड़ने पर सहायता कर सकें।

इस पर आज़ाद बहुत बिगड़ गये, “इतिहास में मुझे अपना नाम नहीं लिखाना है और न परिवार वालों को किसी की सहायता चाहिये।”

वे पान से जिये और पान से ही बलिदान हो गए।

## राष्ट्र को समर्पित : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

-डॉ. हरिसिंह पाल

भारतभूमि महान ऋषियों-चिन्तकों, देवभक्तों और समाज सेवियों की जन्मभूमि रही है। भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले मनीषियों की श्रृंखला में देवर्त्तन और भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का नाम अग्रगण्य है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपनी अप्रतिम भूमिका निभाने वाले निरभिमानी एवं सरल व्यक्तित्व के धनी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का जन्म 3 दिसम्बर 1884 ई. की बिहार के छपरा जिलान्तर्गत जीरादेई ग्राम में हुआ था। राजेन्द्र प्रसाद ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल सहित तीनों राज्यों के विद्यार्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था।

उच्च शिक्षा के लिए आप कलकत्ता गए और विविद्यालय से एम. ए. (इतिहास) और एल. एल. बी. (वकालत) की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही आपको मुजफ्फरपुर के कालेज में प्राध्यापक पद का आमन्त्रण मिल गया। कुछ समय अध्यापन कार्य करने के उपरान्त आप 1915 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए गए। जब 1916 में पटना में उच्च न्यायालय बना तो यहाँ चले आए। कुछ समय में आपकी गिनती उच्च न्यायालय के लोकप्रिय वकीलों में होने लगी।

राजेन्द्र बाबू का सार्वजनिक जीवन कोलकाता आने के बाद बिहारी छात्रों को संगठित करने के कार्य से प्रारम्भ हुआ। आपने सन् 1905 के बंग-भंग विरोधी आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1919 में अ. भा. कांग्रेस समिति के विधिवत् सदस्य बने। तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं यथा, तिलक, मालवीय, लाला लाजपतराय और चितरंजनदास आदि से उनका परिचय हो गया। बिहार के चम्पारन जिले में अंग्रेज नील की खेती करते थे। वे वहाँ के किसानों के साथ अमानवीय अत्याचार करते थे। सन् 1917 में महात्मा गाँधी, इन किसानों की दुर्दशा की बात सुनकर राजेन्द्रप्रसाद को साथ लेकर जाँच करने गए।

अंग्रेजों ने गाँधी जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर राजेन्द्र प्रसाद चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से अंग्रेजों के अत्याचारों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर बिहार के तत्कालीन गवर्नर को भेजी और महात्मा गाँधी जी के साथ सत्याग्रह कर उसमें सफलता प्राप्त की।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 1920 के असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिए अपनी जमी जमाई वकालत में लात मार दी। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए पटना के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की और इसके प्राचार्य का कार्यभार बड़ी कुलता से सम्भाल लिया। गोपालकृष्ण गोखले की प्रेरणा पर ही आपने दे सेवा का व्रत लिया था। उन्होंने बिहार में सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन का नेतृत्व बड़ी कुलतापूर्वक किया। सन् 1921 में आपने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध का नेतृत्व किया। इसी प्रकार 1930 में उस समय दमा रोगी होते हुए भी बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। इस कारण राजेन्द्र बाबू को सात महीने की जेल यात्रा करनी पड़ी। दूसरी बार 4 जनवरी 1932 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर छह माह कारावास की सजा दी गई। तीसरी बार 6 जनवरी 1933 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के सिलसिले में 15 महीने की सजा दी गई। भीषण दमा रोग के कारण उन्हें पटना अस्पताल भेज दिया गया। उसी समय उत्तरी बिहार में भीषण भूकम्प आया। हजारों लोग मारे गए। राजेन्द्र बाबू ने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए दिनरात जुटकर भूकंप पीड़ितों की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गाँधी जी ने उन्हें दे रत्न की उपाधि से विभूषित किया तथा सन् 1934 के बम्बई कांग्रेस महाधिवेदन में उन्हें सभापति चुना गया तथा लखनऊ अधिवेदन में भी कांग्रेस का दुबारा सभापति निर्वाचित किया गया। 8 अगस्त 1942 को 'करो या मरो' और 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन में अन्य नेताओं के साथ राजेन्द्र बाबू को तीन वर्ष बंदी बना रखा गया। कारावास काल में आपने नौ सौ पृष्ठों की अपनी आत्मकथा लिखी। बाद में 'खंडित

भारत' ग्रन्थ भी लिखा।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन खंडित होकर। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में आपको खाद्य मंत्री बनाया गया। फिर संविधान निर्माण के लिए बनी परिषद् का भी आपको अध्यक्ष बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से आपको सम्प्रभुता सम्पन्न भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 12 वर्षों तक लगातार राष्ट्रपति रहे। आप इस पद पर विनाल राष्ट्रपति भवन में विदेह से बनकर ठेठ देहाती के रूप में, उसके वैभव से अलिप्त रहे। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन का दरवाजा सभी छोटे-बड़े-अमीर-गरीब की सेवा हेतु खुला रहा। इसलिए उनसे मिलने दूर-दूर से लोग आते थे। जीवन भर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और संरक्षण में वे सक्रिय रहे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी 14 मई 1962 को अंतिम साँस लेने तक राष्ट्र के सच्चे सेवक, कर्मठ और ईमानदार नेता बने रहे।

-आका वाणी, नई दिल्ली

### चन्द्र शेखर आज़ाद : संगठन के लिए समर्पित

-मनोहर लाल

महान संगठनकर्ता चंद्र शेखर आज़ाद क्रान्तिकारी दल के लिए सदैव समर्पित रहे। एक बार कुछ लोगों ने उनकी पारिवारिक परिस्थिति के लिए आर्थिक सहायता माँगी दी, तो उन्होंने उसे भी पार्टी के कार्यों में लगा दिया। साथियों ने पूछा तो, उन्होंने कहा-“माता-पिता के जीवन की अपेक्षा पार्टी का अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण है। वे सच्चे अर्थों में निष्काम कर्मयोगी थे। आज़ाद को चिन्ता नहीं थी कि उनका नाम इतिहास में आये अथवा ख्याति मिले।

एक बार भगत सिंह ने उनसे पूछा-“पण्डित जी! इतना तो बता दीजिए आपका घर कहाँ है? वहाँ कौन-कौन हैं, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सकें।

इस पर आज़ाद बहुत बिगड़ गये, “इतिहास में मुझे अपना नाम नहीं लिखाना है और न परिवार वालों को किसी की सहायता चाहिये।”

वे पान से जिये और पान से ही बलिदान हो गए।



## आतंकवाद की आग में झुलसता पूर्वोत्तर

-के. एल. चतुर्वेदी

उत्तर-पूर्व भारत में इस समय सात राज्य हैं- असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा। सिक्किम आठवाँ राज्य है, किन्तु यह नेपाल और भूटान के मध्य स्थित है और यहाँ की स्थितियाँ भी भिन्न हैं। उक्त सात राज्यों के कारण उत्तर-पूर्वांचल को 'सात बहनों की भूमि' (लैण्ड ऑफ सेवन सिस्टर्स) भी कहा जाता है। यह पूरा क्षेत्र पहाड़ियों, घाटियों और दुर्गम वनों से भरा है। ऊँचा-नीचा और असमतल होने के कारण ही असम अर्थात् अ-सम नामकरण हुआ। पहले तो यह पूरा क्षेत्र ही असम कहलाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से असम के चीन से सटे क्षेत्र को 'नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी' (नेफा) नाम देकर केन्द्र शासित क्षेत्र बना दिया था। वर्ष 1986 में नेफा से अरुणाचल प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बन गया। मणिपुर को राज्यों के पुनर्गठन के समय असम से अलग कर 1956 में केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में मणिपुर भी पूर्ण राज्य बन गया। त्रिपुरा के साथ भी यही हुआ। असम के और टूटने का क्रम वर्ष 1956 में नागालैण्ड के केन्द्र शासित राज्य और फिर 1963 में पूर्ण राज्य बनाने के साथ प्रारंभ हुआ। इसके नौ वर्ष बाद मेघालय नाम से एक अलग राज्य बना। इसी के साथ असम का एक हिस्सा और तोड़कर मिजोरम बनाया गया। इसे केन्द्र के अधीन रखा गया था, पर 1987 में यह भी एक अलग राज्य बन गया। नागालैण्ड, मिजोरम और मेघालय के भिन्न राज्य बनने का एकमात्र कारण इनका ईसाई बहुल हो जाना था। विदेशी पादरियों ने भारत को विभाजित करने के षड्यंत्र के तहत इन सीमावर्ती क्षेत्रों के वनवासियों और जनजातियों को ईसाई बनाया और

साठ फीसदी आबादी होते ही एक अलग राज्य की माँग के लिए आन्दोलन छेड़ दिया। असम के वनवासी लोग आसानी से मिानरियों के षड्यंत्र का फिकार बन गये। आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार का पादरियों पर वरद-हस्त था। 1947 के बाद वि.व.के.ईसाई.दे.। और पश्चिम का चर्च पादरियों की पीठ पर थे। भारत सरकार सेकुरलवाद की मोहनिद्रा से ग्रस्त थी। उत्तर-पूर्वांचल में ईसाई षड्यंत्रों का सफल हो जाना दुःखद है, इसलिए कि उस क्षेत्र में हिन्दू-संस्कृति का यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र उत्तर-पूर्वांचल आज दयनीय स्थिति में है। कमीर घाटी से अधिक विस्फोटक स्थिति इस समय उत्तरपूर्व के सात राज्यों की है। जम्मू-का मीर से कहीं अधिक संख्या में निर्दोष लोग यहाँ आतंकवाद का फिकार बन रहे हैं। कमीर घाटी में तो सिर्फ पाकिस्तान से ही घुसपैठ हो रही है किन्तु ये तीनों ईसाई बहुल राज्य, चीन, म्याँमार और बांग्लादे.। से तीनों ओर से घिरे हैं। पूर्वांचल में तीनों ही दे.ों से आतंकवाद की दस्तक हो रही है। अरुणाचल जब 'नेफा' था, तब 1962 में चीनी आक्रमण का दं.। यह झेल चुका है। बांग्लादे.। वर्षों से घुसपैठियों के रूप में भारत पर अप्रत्यक्ष आक्रमण कर रहा है। पं. बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक स्थान पर बांग्लादे.। और नेपाल के बीच भारतीय क्षेत्र 50 किमी. से भी कम चौड़ा है। कोई भी सेना कुछ ही घण्टों में इस पट्टी पर अधिकार कर पूर्वांचल को षोष भारत से काट सकती है। सैनिक भाषा में ऐसे कमजोर क्षेत्र को 'चिकन्स नैक' अर्थात् 'मुर्गे की गर्दन' कहा जाता है, जो बड़ी सरलता से तोड़ी जा सकती है। इस चिकन्स नैक के एक ओर बांग्लादे.। है तो दूसरी ओर नेपाल का वह क्षेत्र है जहाँ आंतरिक स्थिति और भी भयावह है। सात राज्यों में पच्चीस से अधिक आतंकवादी गिरोह भारतीय प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं। नागालैण्ड, असम के तीन जिलों

तथा मणिपुर के दो जिलों में एन.एस.सी.एन. (ने नल सो लिस्ट कौंसिल ऑफ नागालिम) की तूती बोलती है। राज्य सरकारों के मंत्री तक इस गिरोह को पैसा देते हैं। असम में उल्फा (यूनाइटेड लिबरे न फ्रंट ऑफ असम) और बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक है। उल्फा के उग्रवादी बांग्लादेश में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

इस अशांति का कारण है मुस्लिम घुसपैठ, ईसाईकरण, साम्यवाद तथा इन सबको सहारा देने वाला तथाकथित सेकुलरवाद। मिशनरियों के ईसाईकरण ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पूरी तरह अपनी जड़ों से काट दिया है।

इसका परिणाम यह हुआ कि जिन क्षेत्रों में पहले एक अलग राज्य बनाने और राज्य बन जाने के बाद भारत से अलग होने की माँग ने जोर पकड़ लिया, अब अलगाववाद को हवा देने के लिए आतंक का रास्ता पकड़ लिया गया। चर्च का साथ एक ओर त्रिपुरा जैसे राज्यों में वामपन्थी और दूसरी ओर असम में बांग्लादेशी घुसपैठिये दे रहे हैं।

पाकिस्तान की माँग करने वाले लोग चाहते थे कि असम भी पाकिस्तान को मिले। इसलिये आजादी मिलने के पहले से ही असम में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए गए। यह घुसपैठ आजादी के बाद भी जारी रही। (उनका नारा हो गया-सिलहट लिया चोट से, जोरहट लेंगे वोट से)। आज असम में घुसपैठियों की अघोषित सरकार है। ये घुसपैठिये असम को भारत से अलग करने के आजादी-पूर्व के षड्यंत्र को सफल करने में लगे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा है। इसमें विस्फोट के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता है। यह चिंगारी कब बारूद में लग जाए, कहा नहीं जा सकता है।

## आतंक से जंग में हमारी गलतियाँ

-भरत वर्मा

(एडिटर, इंडियन डिफेंस रिव्यू)

हम लगातार इस्तेमाल हो रहे एक आतंकी मॉड्यूल को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यह पैटर्न जाना-पहचाना है।

हर गुजरे धमाके के साथ यह सवाल उठता है कि आखिर हम कब सुधरेंगे? हैदराबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में तो व्यवस्था की गलतियों के सबूत पैबन्द से भी बाहर निकल कर सामने आने लगे हैं। दिलसुखनगर इलाके में बस स्टैंड के पास दो क्विंटाली बम फटने की घटना, काफी हद तक इससे पूर्व एक अगस्त को हुए पुणे बम धमाके की तरह ही थी। ठीक उसी दिन, जब सुशील कुमार सिंदे गृहमंत्री बने थे। गुरुआती जाँच में यह साफ हुआ है कि धमाके में साइकिल बॉल बियरिंग और टाइमर इस्तेमाल हुए, यह मॉड्यूल भी पुणे ब्लास्ट से मेल खाता है। इससे पहले भी हैदराबाद को निपाना बनाया गया था और उसी तरीके से इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। साल 2007 में दिलसुखनगर इलाके में ही एक बम को नाकाम किया गया था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक के अलावा बॉल बियरिंग, डेटोनेटर और टाइमर था। ऐसे में, हमारी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि हम एक आतंकी मॉड्यूल को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यह पैटर्न जाना-पहचाना है। इस तरह के धमाके में इंडियन मुजाहिदीन पर एक की सुई उठती रहती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, उनमें से एक को इस इलाके की पूरी-पूरी जानकारी थी और उसी ने इंडियन-मुजाहिदीन पर हमारा फिक्र कसा है, यह आतंकी संगठन भारत में पाँव पसारता जा रहा है। गौरतलब है कि यह संगठन भारत में बना है, लेकिन इसको पैसा सीमा पार से मिल रहा है।

दूसरी गलती यह कि लगातार दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार को पहले ही आतंकी खतरे के प्रति आगाह किया गया था, लेकिन सच तो यह है कि खुफिया एजेंसी ने कोई विधि

जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। गह सचिव का सीधा यह कहना कि हमारे पास जानकारी थी और उसकी सूचना राज्य की पुलिस को दे दी गई थी। लेकिन खतरे का स्तर क्या था? कितनी गम्भीरता के साथ यह सूचना दी गई या बस खानापूति का मामला था, जो अक्सर देखने में आता है? दरअसल, खुफिया एजेंसी के पास कोई अहम सुराग नहीं था। यह बहुत बड़ी विफलता है, जो गहमंत्री के बयान से भी झलकती है। तीसरी गलती यह रही कि राज्य के स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में गम्भीर खामी दिखी। सबसे पहले, तो दे। भर में मजदूर संगठनों की हड़ताल चल रही थी। ऐसे में, किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए राज्य ने कुछ तो इंतजाम किए होंगे। वे इंतजाम क्या थे? एक बस अड्डे के पास भरे बाजार में दो बम लगा दिए जाते हैं और पुलिस बेखबर रहती है, क्यों? जबकि दिलसुखनगर एक कस्बाई।हर है, जो मुसी नदी के दक्षिण में है। यह राष्ट्रीय राज्यमार्ग-9 के समीप है और इस पूरे इलाके में कई छोटी-छोटी कॉलोनियाँ हैं, जो छोटी सड़कों से जुड़ी हुई हैं। अगर यहाँ छिपने की जगह ज्यादा है, तो यहाँ से बच निकलने की गुंजाइ। बेहद कम है। इसके अलावा, हाल ही में कसाब और अफज़ल गुरु को फाँसी देकर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त व ठोस कदम उठाए थे। इसलिए यह आ।का तो थी ही कि पाकिस्तान के इ।ारे पर आतंकी संगठन पलटवार करेंगे। जाहिर है, पुलिस के अभियान पर सवाल उठेंगे ही। एक तरफ तो आप आतंकवाद से लड़ने के लिए पुलिस को विशेष प्र।िक्षण नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आतंकवाद से मुकाबला कैसे मुमकिन है। चौथी खामी, विस्फोट के बाद के आठ घंटे बेहद अहम होते हैं- सबूत जुटाने से लेकर रणनीति बनाने तक। क्या इस वक्त का सही फायदा जाँच एजेंसियों ने उठाया? यहाँ यह बताना जरूरी है कि घटनास्थल पर पाँच घंटे की देरी से ने।नल इन्वेस्टिगे।न एजेंसी की पाँच टीमें पहुँचीं। ने।नल सिक्क्युरिटी गार्ड की टीम तो।ुक्रवार सुबह पहुँची जबकि ये दोनों संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर मौजूद हैं। दिल्ली से टीम भेजने के चक्कर

में यह देरी हुई।  
सीधी-सी बात है कि आतंकवाद से हमारी लड़ाई घर में भी है और सीमा पर भी। उधर, पाकिस्तान फौज की कूटनीति इस समय दो धारणाओं पर काम कर रही हैं। पहली उन्हें लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कमीर का मसला खत्म हो रहा है। दूसरी पाकिस्तान की अपनी आन्तरिक सुरक्षा संकट में है। ऐसे में, वहाँ की फौज तो चाहेगी कि भारत में दह तगदों की घुसपैठ हो, ताकि कमीर विवाद भी जीवित रहे और दुनिया की नजर जब पाकिस्तान की खराब अन्दरूनी स्थिति पर हो, तब पाकिस्तानी फौज भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। पाकिस्तानी फौज के पास दो विकल्प हैं-पहला, या तो भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए, जिससे पाकिस्तान के अन्दर 'भारत-विरोधी' भावना एकजुट हो सके। दूसरा, वह भारत के अन्दर सीमापार व स्थानीय मॉड्यूल के जरिये आतंकवाद को जिन्दा रखे। कयानी दूसरे विकल्प को अपना रहे थे, क्योंकि उधर अफगानिस्तान में पश्चिमी फौज लौट रही है और उसे पाकिस्तान से सुरक्षित रास्ता भी चाहिए। अपनी सेना फँसी देख अमरिका भी पाकिस्तान पर दबाव बनाना नहीं चाहेगा और नई दिल्ली को मौजूदा वक्त में खास अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिलेगा। पाकिस्तान फौज और आईएसआई इसी मौके को भुनाना चाहती हैं।

फिलहाल, आईएसआई के आका अपनी फौज के जरिये सीमा पर नापाक गतिविधियों को जारी रखना चाहेंगे और जेहाद के नाम पर हाफिज सईद जैसे लोगों के जरिये भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देंगे। पीछे हमने देखा कि सरहद पर पाकिस्तान ने कैसे हमारे दो जवानों के अंग क्षत-विक्षत किए। हैदराबाद सीरियल ब्लास्ट भी इसी की कड़ी है। ऐसे में, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था (पुलिस, फौज, आतंक विरोधी तंत्र) मजबूत बनानी होगी। इसके लिए हथियार खरीद, पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देना और आतंकवाद से निपटने के प्रयासों में फौज की भूमिका बढ़ानी जरूरी है।

## पलटवार बिना नहीं समाधान

-जोगिन्दर सिंह

भारत को न केवल आतंकवादियों से खतरा है बल्कि उन कुछ गुमराह भारतीय मुसलमानों से भी खतरा है, जो दे। को बर्बाद करने के मकसद पर आमादा हैं। इतना तो कहा ही जा सकता है कि भारत सरकार एक पक्ष है, जो जवाबी कार्रवाई न कर सकने की अपनी निष्क्रियता के कारण उनकी क्रूर साजि। की िकार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय संविधान से हरेक को कुछ निश्चित तरह की आजादी हासिल है। लेकिन न तो भारत का और न दूसरे दे।ों का संविधान किसी समूह को इसकी इजाजत देता है कि वह इन छूटों का लाभ उठा कर अपने दे। को बर्बाद कर दे।

सऊदी अरब से प्रत्यावर्तित और मुंबई के 26/11 कांड के सरगना सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि दुबई में दो साल के अपने प्रवास के दौरान उसने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ल कर-ए-तय्यबा में 50 युवकों की भर्ती की। उसने यह भी कबूला कि वह रियाद और दुबई में अपने सम्पर्कों के जरिये हवाला के माध्यम से केरल और महाराष्ट्र में ल कर के आत्मघाती दस्ते तैयार करने के लिए रकम भेजता था। आतंकवादी संगठन ल कर में भर्ती के लिए पाकिस्तान, भारत, बांग्लादे। और श्रीलंका से युवक चुने जाते थे। अबू जंदल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क मीर में ल कर में, भर्ती किए गए 250 युवकों को आतंकी वारदातों के लिए प्रीक्षित भी किया था। इनमें से आठ लड़के मुम्बई के 26/11 की तरह ही कहर बरपाने के लिए छाँटे गए थे। इस बारे में इंटरपोल की तरफ से सतर्कता सूचना (रेडकॉर्नर नोटिस) जारी होने के बाद विनार इंजीनियर फसीह मेहमूह को भारत के विभिन्न ठिकानों पर आतंकी हमले करने और आतंक सम्बन्धी वारदातों को अंजाम देने के लिए सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है। साफ है कि यह सब हुआ अमेरिकी दवाब या

दखल के कारण।

दुर्भाग्यवश, टाडा (आतंकवादी और विध्वंसकारी विरोधी अधिनियम) के खात्मे के बाद से भारत सरकार ऐसा दूसरा कानून बनाने में बुरी तरह विफल रही है, जो इस तरह की संगीन आतंकवादी वारदातों के कारगर तरीके से निबट सके। वास्तव में, सरकार के घुटने कमजोर होने और यहाँ तक कि दिाविहीन नीतियों के चलते ही चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है। एक तरफ, केन्द्रीय गृहमन्त्री पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं और दूसरी ओर तथाकथित अलगाववादियों को, जो वास्तव में आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के उच्चायुक्त से बातचीत के लिए दिल्ली बुलाते हैं। जाहिर है, यह मुलाकात दुआ-सलाम के लिए तो नहीं होगी। उन्हें इसमें यह बताने के लिए बुलाया जाता है कि किस तरह वह भारत में आतंकवाद और उपद्रव फैलाएँ। दरअसल, धारा 124 अ के तहत राजद्रोह का कानून कभी उन अग्रिम मोर्चे के आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं लागू किया गया जो अलगाववादियों का मुखौटा लगाए हैं। यही वजह है कि आज जम्मू-कश्मीर के तीन हिस्सों में से एक में इस्लामीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनंतनाग शहर का नाम जल्दी ही इस्लामाबाद कर दिया जाएगा। आदि किराचार्य नामक पहाड़ का नाम तख्त-ए-सुलेमान रखा गया है। हरि पहाड़ का नाम कोह-ए-मरान रखा जाने वाला है। इसी तरह 700 गाँवों के नाम भी बदले जाने हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे का नाम शेख-अल-आलम हवाई अड्डा रखा जाने वाला था। अगर यह रिपोर्ट सच है तो वाकई गम्भीर बात है क्योंकि किसी शहर, गाँव या राज्य का नाम भारत सरकार की इजाजत के बिना नहीं बदले जा सकते। अब भाजपा से गठबंधन के कारण शायद यह संभव न हो।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद या माओवाद को भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। लेकिन



या तो वे भूल गए या जानबूझकर आतंकवाद और कमीरी  
 आतंकवादियों को भी दे। के लिए समान रूप में विध्वंसकारी  
 नहीं बता रहे थे। मैं इस पर भरोसा नहीं करता कि भारत  
 की समस्या के लिए आईएसआई या पाकिस्तान पर तोहमत  
 लगाना वास्तविक समस्या है। दरअसल, समस्या इससे निबटने  
 में हमारी दयनीय और पीलियाग्रस्त कार्यवाई के चलते है।  
 जम्मू-कमीर सरकार का फरमान श्रीनगर के कुछ हिस्सों के  
 आगे नहीं चलता। सरकार ने श्रीनगर से विशेष सस्त्र सैन्य  
 बल अधिनियम जैसे ही हटाया, उसके अगले ही दिन आधे  
 से ज्यादा पुलिसकर्मी हलाक कर दिए गए थे। संसद पर 2001  
 के 13 दिसम्बर को हुए हमले में गिरफ्तार आतंकवादी की  
 सर्वोच्च न्यायालय से भी फाँसी की सजा बरकरार रखी गई थी  
 लेकिन सरकार उस आदे। पर अमल करने में ढीला-ढाला  
 रवैया अपनाती रही थी कि अभी दया याचिका पर विचार  
 होना बाकी है। यह होते-होते तेरह साल बीत गए। यही  
 स्थिति, पाकिस्तान के उस आतंकवादी की थी, जिसकी मुम्बई  
 हमले में फाँसी की सजा को ऐलान हुए सात साल बीत चुके थे।  
 वास्तव में, भारत इन लचर तर्कों की आड़ में कि वह कानून  
 की लम्बित प्रक्रियाओं का पालन कर अपने को धोखा दे रहा  
 था। इससे उसकी स्थिति पूरी दुनिया में हास्यास्पद होगई है  
 जबकि उसकी सर्वोच्च अदालत तक इन आतंकियों को फाँसी  
 की सजा सुना चुकी है। इस रवैये ने भारत को धर्माला या  
 सराय बना दिया है, जहाँ आतंकवादी आ सकते हैं, ठहर  
 सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं और फिर छूट भी सकते  
 हैं। यह स्थिति इसलिए है कि हम अब भी दे। को 1863 में  
 ब्रिटि। सरकार के बनाए कानूनों-भारतीय दंड संहिता, भारतीय  
 साक्ष्य अधिनियम और अपराध प्रक्रिया संहिता से चला रहे हैं।  
 तब इज्जत के लिए हत्या और आतंकवाद जैसे संगीन जुर्म  
 सामने नहीं थे। आपराधिक न्याय प्रणाली को मज़बूत करने के  
 आड़े-तिरछे प्रयासों के कारण अदालतों में लम्बित मुकद्दमों

के निबटारे में दायकों का समय लगता है। सीबीआई में 20-20 सालों से मुकद्दमे लम्बित हैं। जिस पर भी आप माँग करें कि जब सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ हो रही हो गवाह पेड़ के पीछे छिपे हों या आधी रात को जब आतंकवादी सीमा पार कर भारत में दाखिल हो रहे हों तो उस समय भी किसी प्रत्यक्षदर्शी को मौजूद रहना जरूरी है। इसी तरह जब नक्सली मारे जा रहे हों या छत्तीसगढ़ में जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों को भून दिया तब भी गवाह को मौजूद रहना चाहिए था। हालाँकि पूरी दुनिया अपराध और अपराधियों के बारे में जानती है, फिर भी हत्यारे और आतंकवादी कानूनी छेदों और सरकार की न्यायिक व आपराधिक न्यायिक प्रणाली की उदासीनता के चलते छूट जाते हैं। यही वह वजह है कि कोई भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता। ऐसे परिदृश्य में मीडिया ने 26/11 में भारतीय मुस्लिम अबू जंदल की संलिप्तता का खुलासा कर सही किया है।

लेकिन मौजूदा भारतीय कानून के तहत इस मामले का कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि पुलिस को दिया गया बयान कानून की अदालत में मान्य नहीं है, जब तक उसका समर्थन करता कोई साक्ष्य न हो। जब तक हम आतंकियों के देश में दाखिल होने पर वैसी सख्ती नहीं दिखाएँगे जैसी वे सुरक्षा बलों और निर्दोष नागरिकों के प्रति दिखाते हैं, समस्या जस की तस रहेगी। तथाकथित जेहादियों का विश्वास है कि आतंक बरपाते समय मौत होने पर उन्हें जन्नत नसीब होती है, जहाँ हूरें उनका इंतजार कर रही होती हैं और अल्लाह से भी मुलाकात हो जाती है। आतंकवादियों की मन्नत पूरी करने में सरकार विफल हो जाती है। होना यह चाहिए कि आतंकवादी जब भी देश पर हमला करें तो अल्लाह से मिलने की उनकी इच्छा जितनी जल्दी हो, जन्नत भेज कर पूरी कर दी जाए। (लेखक सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं। उनके आलेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

## VEDAS FOR ALL

-Brig. Chitranjan Sawant

At the beginning of the human creation, God transmitted divine knowledge to mankind for a style of life generating health and happiness. God revealed VEDAS or Divine Knowledge to the Rishis or the sages and they passed it on without in any way discriminating between man and woman or between man and man on grounds of caste, creed or colour, The entire human race is entitled to read the Ved mantras, meditate on them and improve the quality of life.

One has just to make an effort to read and meditate on the mantras and the happy results would not be far to find. One may read the original mantra compilation called Samhita or go to the translation of the text and explanation or exposition in English or Hindi language. Treatises explaining meaning of the Ved mantras may be available in other languages too. Meditation on mantras leads to bliss. "Vedo Akhilo Dharm Moolam" - Vedas are the roots of righteousness. When one walks on the path of righteousness one is doing one's Dharma as a good man ought to do. Who is a good man? One who is socially efficient is a good man or a woman.

He or she is an achiever of right goals through right means. This Mister Right cares as much for the society as for himself. Should there be a conflict of interests between the self and the society, self must be made subservient to the society. This is what the Vedic way of life is all about. This path of social efficiency is paved with and illuminated by the Ved Mantras.

The Ved Mantras always show light at the end of the tunnel and bring in optimism and become a source of inspiration to lift a man or a woman when he or she is down in the dumps. It may also be understood that the Vedas, being divine knowledge, are considered to be infallible. Other branches of knowledge originate from this pristine source. Maharishi Swami Dayanand Saraswati, founder of the Arya Samaj, has opined that the non-Vedic works conforming to the Vedic Dharm are acceptable but the ones in conflict with the Vedic precepts are not acceptable. Ved mantras are the touchstone to decide either way. Ved mantras are cornerstones of the edifice of the Vedic Dharma. The Vedas are four in number: Rigveda, Yajurveda, Samveda and

Atharvaveda. At the beginning of the creation, the Rishis in whose hearts the four Vedas, Rig, Yaju, Sama and Atharva were revealed are Agni, Vayu, Aditya and Angira respectively.

Now let us take a close look at them and meditate on Ved mantras relevant to the human scenario today. The Rigveda is the Ved of Knowledge. There are ten thousand five hundred eighty nine mantras spread over ten mandals or ten major cantos.

With a view to understanding the spiritual import of Ved Mantras, quite a few vedic scholars of yore like Sayan wrote Ved Bhashya or Vedic commentaries in simple Sanskrit. In the 19th century India a Vedic renaissance took place. Maharshi Swami Dayanand Saraswati had the distinction of being the first Rishi to write commentaries on the divine Vedas both in Sanskrit and Hindi. The Vedic wisdom was unlocked and the biggest beneficiary was the common man on the street. It was a religious revolution.

Unlocking the Vedic knowledge and letting the deprived segments of society reap the harvest definitely enriched quality of life of an average man.

The Yajurveda comprises one thousand nine hundred seventy five mantras. Its basic emphasis is on Karmakand rituals correlating mantras and yajna. The mantras inspired men and women to realize God in their inner self. Mantras motivated men and women to banish the evil and imbibe the noble. Making donations for charities is one of the ways to attain nobility on the path to attain Moksha, that is liberation of soul from the bondage of repeated cycles of births and deaths.

The Samaveda comprises one thousand eight hundred seventy five mantras. This is known as Upasanakand or the prayer sung for realization of the Supreme Being and one's inner self. The word SA-AM, inter-alia, means a communion of soul with God. SA means the Almighty and AM is soul or Jeeva and SAAM is a synthesis of the two.

The Atharvaveda comprises five thousand nine hundred and seventy seven mantras. It is known as the Vijynankand. The mantras of Atharvaved enlighten men and women in their quest of God and help them seek Him in "Matter or objects of this mundane world".

The Vedas propound the philosophy of Trinity, i.e. existence of God, soul and matter before the Creation, during the Creation and after the

Creation is over. The three exist as independent entities with myriad opportunities to interact. God, of course, is Supreme Being always and everytime. Correlating the Vedic knowledge with the mundane matters of today, one may like to take a look at the scenario of terrorism and what the Vedas have to say on the subject.

Does a Vedic sanction exist against wanton killings of human beings and destruction of property with a view to terrorizing human beings? Of course it does.

The Rigveda gives a definite direction to punish the killers and eulogize the warrior who wields Vajra. Punishment of the criminal killer is a must. The Rigveda defines a warrior as one who wields the invincible weapon of war, Vajra, for the common good of the society. He fights the battle with self-confidence, high morale and valour against terrorists.

A Vedic warrior against terrorist has to keep himself cool, calm and collected. Let the like-minded men and women consolidate the forces of good people against the evil terrorists and eliminate them once for all. It is high time the saints wielded the Vedic Vajra and killed the sinner-killers. According to the Vedic philosophy God is One. He is without a form or shape. He is never born in this world and, therefore the question of His death or disappearance does not arise. In other words, Vedas do not subscribe to the theory of AVATAR or God coming to this world in a human form to help man.

God is omnipresent, omniscient and all powerful to run this universe as per the divine laws which He too does not break or infringe. The Vedic Dharm does not subscribe to the theory of God deputing prophets to run His errands. There is a direct communication between God and man and there is no place for a middleman. That is why the treasure of Vedic knowledge made available to man through mantras does not envisage a godman who is different from a common man. It is indeed the divine right of men and women to delve deep into the Vedic realm and live a life of righteousness.

Vedas lay an emphasis on the Truth. "Satyam Vad, Dharmam Char" is the epitome of the path of righteousness. It means :tell the truth and go by the principles of Dharma or the code of conduct aiming at purity in life. One may wonder if that is a pragmatic philosophy of life. Of

course, it is. A path strewn with untruth and dishonesty may pay seemingly rich dividends but in actual fact these dividends are ephemeral. A short-term gain may eventually lead one into a dark abyss where one is condemned to live in pain and misery forever.

The Vedic way of life takes care of life after death which is followed by a rebirth. What Samskar a soul acquires when it is embodied has its effects in the birth after death too. Vedas prescribe a clean life which pays dividends many times over.

The Vedas prescribe a four-fold path to Moksha or liberation of soul from the endless cycle of birth, death and rebirth.. It is DHARMA, ARTHA, KAMA and MOKSHA. As we proceed further in subsequent chapters, we shall dwell on the salient aspects of this four-fold path. For the time being one may understand that Dharma takes one on the right course of life, Artha enables one to earn wealth by the sweat of brow, kama enables one to have a high ideal to be achieved through hard work. Should a man or a woman follow this vedic path, Moksha or liberation from birth, death and rebirth will not be far to seek.

**(FORM IV) STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT "BRAHMARPAN"**

Place of Publication and Address: New Delhi, C2A/58, Janakpuri, New Delhi-110058.

Periodicity : Monthly, A bi-lingual publication (Hindi and English)

Printers' name, citizenship and Address: B.D. Ukhul, Indian, C2A/58, Janakpuri, New Delhi-110058.

Publishers' name, citizenship and Address: B.D. Ukhul, Indian, C2A/58, Janakpuri, New Delhi-110058.

Editor's name, citizenship and Address: Dr. Bharat Bhushan Vidyalkar, Indian, C2A/90, Janakpuri, New Delhi-110058.

Name and Address of owner: M/s. Brahmasa India Vedic Research Foundation, C2A/58, Janakpuri, New Delhi-110058.

Printing Press: Friends Printofast, 6, A5B/A5C Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

DCP License No. F2(B-39) Press/2007

I, B.D.Ukhul, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

31.03.2015

Sd/- B.D.Ukhul

## BRAHMARPAN HONOURED

Delhi Arya Pratinidhi Sabha, Hanuman Road ,Delhi accorded an honour(*Samman*) to your magazine BRAHMARPAN on 14<sup>th</sup> February,2015, the auspicious occasion of Birthday celebrations of Sw. Dayanand Saraswati at Kirti Nagar, New Delhi by awarding a certificate of merit (*Sa-Samman- Prashasti*) to BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION, JANAKPURI-110058 who started its publication in JULY,2007. We express our sincere gratitude to the Sabha for this honour and reiterate our commitment and resolve to continue this journey with all the resources at our command. Foundation records its appreciation for our printers M/s. Friendsprintofast for their while-hearted cooperation.



Dr. Bharat Bhusan Purang, Editor & Shri B.D. Ukkul, Publisher receiving the Prashasti Patra (Certificate of Merit)

BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION ACKNOWLEDGES WITH THANKS RECEIPT OF THE DONATIONS from the following:

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Shri K.L.Gogia, C2/177, Janakpuri, New Delhi-110058.        | Rs. 500/- |
| Smt. Shakuntala Gulati, C5A/103A, Janakpuri, New Delhi- 58. | Rs.500/-  |
| Shri H.B.S. Rana, D-74, Surajmal Vihar, Delhi-110092.       | Rs. 500/- |

Donations to the Foundation are eligible for Tax Exemption under Section 80G of the Income Tax Act 1960 Vide No.DIT(E)1/3313/DELBE 21670-2503210 dated 25.03.2010

वि वत चक्षुरुत वि वतोमुखो वि वतो बाहुरुत वि वतस्पात् ।  
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्दर्यावाभूमी जनयन देव एकः ॥  
यजु.17/19॥

ऋषि : भुवनपुत्रो वि वकर्मा, देवता-वि वकर्मा, छन्द-त्रिष्टुप्  
सर्वव्यापक वि वकर्मा परमात्मा एक ही है। वह सारे वि व की  
दृष्टि है जिससे कोई वस्तु छिपी नहीं है। उसके सर्वत्र मुख, बाहु,  
पैर व कान आदि हैं। वह सर्वदक्, सर्ववक्ता, सर्वधारक है। सब  
धर्मात्मा उससे डरते हैं। वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जगत् का  
कर्ता है। संसार में जिसने जैसे पाप या पुण्य कर्म किए हैं उसे  
वह न्यायकारी, दयालु जगत्पिता बिना पक्षपात के सुख दुःख रूपी  
फल देता है और उन्हें यथायोग्य जन्म मरणादि प्राप्त कराता है।  
उस निराकार, अजन्मा, अनन्त, सर्व क्तिमान, दयावान् से भिन्न  
को ई वर नहीं मानना चाहिए। वही प्रभु हमारा पूज्य और इष्टदेव  
स्वामी है। वही हमें सुख देगा, अन्य कोई नहीं।

God is All-powerful. His Eyes are everywhere, where is nothing  
unvisible to Him in this World. Similarly His Mouth, His Arms, His  
Feet, His Ears and other Sense organs are everywhere. He is the  
seer, speaker and sustainer of all. He is Omnipresent and Om-  
nipotent both. The Almighty God, the Maker of the universe is one  
without a second. He creates the whole world from the heaven to  
the earth. That just and Merciful Lord makes every soul to be born  
again and die again in accordance with the good or evil deeds done  
by them, Therefore, none of us should have any faith in anyone  
else but Him.